आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	आदेश प्रस्तुत वाद के दोनो पक्षकार आपस में गोतिया हैं। इनके मध्य भूमि संबंधी विवाद है। दोनो ही पक्षकार इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि माननीय व्यवहार न्यायालय हजारीबाग द्वारा पारित (Partition suit २५४/५०) आदेश उन्हें मान्य है। द्वितीय पक्ष का कहना है कि विवादग्रस्त भूमि उनके पूर्वज ने प्रथम पक्ष से खरीदगी किया है। इस प्रकार Partition suit में सर्वमान्य फैसले के उपरान्त आपसी खरीद बिक्री को नही मानने के कारण Title स्वत्व का विवाद उत्पन्न हुआ है। स्वत्व (Title) संबंधी विवाद का निस्तारण अधोहस्ताक्षरी के अधिकार क्षेत्र में नही है। अतः प्रस्तुत वाद में किसी पक्षकार के हित में कोई अंतिम आदेश पारित नही किया जा सकता है। उभय पक्ष सक्षम न्यायालय में वाद लाकर नए विवाद का निस्तारण कर सकते हैं। भा.ना.सु.सं.163 के तहत वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित (हस्ताक्षर) 07/3/25	(हस्ताक्षर) 07/3/25

अनु. पदा बगोदर सरिया

अनु. पदा बगोदर सरिया

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2025.04.19 14:23:18 +05:30
Location: 192.168.130.1